आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री महावीर प्रसाद, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 193/इंदौर/2020
निर्धारण वर्ष : 2011-12

श्री सुनील जैन (हि.अ.कु), इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 1 (3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएलएचएस 7393 पी		
अपीलार्थी की ओर से :		श्री रंजन अग्रवाल, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से :		श्री अमित सोनी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि :		26.11.2021
उद्घघोषणा तिथि :		21.12.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, इंदौर के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अधीन आदेश दिनांक 18.02.2020 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि निर्धारिती हिंदू अविभाजित कुटुंब है । आय की विवरणी 23.05.2011 को निरंक आय घोषित करते हुए दाखिल की गई थी । विद्वान निर्धारण अधिकारी ने DDIT(Inv)-Unit IV-1, Thane की रिपोर्ट के आधार पर पाया कि मे. केसीएल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स (पूर्व नाम कदंब कंस्ट्रक्शन लिमिटेड) एक पैनी स्टॉक कंपनी है तथा निर्धारिती ने भी इस कंपनी के शेयरों में संव्यवहार किया है । अतः निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करके इस प्रकरण को पुनः आरंभ (reopen) किया । पुनः आरंभ हेतु कारण दिए गए थे । निर्धारिती द्वारा की गई आपत्तियों पर विचार किया गया तथा इन्हें खारिज किया गया । धारा 143(2) तथा 142(1) के अधीन नोटिस जारी किए गए । पुनर्निधारण कार्यवाही में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत निवेदनों पर विचार किया गया तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिधारित किया गया कि निर्धारिती का अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति की छूट हेतु रु. 75,62,733/- का दावा जाली है क्योंकि यह पैनी स्टॉक कंपनी के शेयरों से था । विद्वान निर्धारण अधिकारी ने रु. 4,53,643/- के आंकलित व्यय हेतु भी परिवर्धन किया जो निर्धारिती ने अभिकथित संधान (accommodation) प्रविष्टी प्राप्त करने हेतु उपगत किया है । तद्नुसार कुल आय रु. 80,16,376/- निर्धारित की गई ।

3. असंतुष्ट निर्धारिती ने विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की परंतु सफल नहीं हो पाया ।

4. अब निर्धारिती निर्धारण के पुनःआरंभ पर आपत्ति करते हुए विधिक मुद्दे तथा प्रकरण के गुणागुण के मुद्दे पर भी इस अधिकरण के समक्ष अपील में है ।

5. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष दाखिल अभिलेख पुस्तिकाओं में उल्लिखित निर्णयज विधियों तथा synopsis पर निर्भरता रखते हुए उनमें किए हुए निवेदनों में दोहराया ।

6. दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने दोनों निम्न प्राधिकारियों के निर्णयों पर निर्भरता रखी तथा बिजनेस स्टैण्डर्ड से न्यूज दिनांक 06.09.2021 की प्रति भी दाखिल की जिसमें यह कथन किया गया है कि सेबी ने जाली व्यापार के लिए 85 कंपनियों को कैपिटल मार्केट से प्रतिबंधित किया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस आधार पर विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश की पुष्टि करने हेतु निवेदन किया ।

7. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अध्ययन किया है । निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 147 के अधीन निर्धारण पुनः खोलने के बारे में लिए गए विधिक आधार के संबंध में हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा यह प्रकरण DDIT(Inv)-Unit IV-1, Thane की रिपोर्ट के आधार पर तथा वैध प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित रूप से पुनः आरंभ किया है । अतः हम विद्वान निर्धारण अधिकारी की अधिनियम की धारा 147 के अधीन निर्धारण पुनः आरंभ करने की कार्रवाई को न्यायसंगत मानते हुए इसकी पुष्टि करते हैं तथा निर्धारिती द्वारा लिए गए विधिक आधार को खारिज करते हैं ।

8. निर्धारिती द्वारा प्रकरण के गुणागुण पर लिए गए आधार के संबंध में हमने पाया कि निर्धारिती ने मे. केसीएल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स (पूर्व नाम कदंब

कंस्ट्रक्शन लिमिटेड) के शेयरों के विक्रय पर अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति के रूप में रु. 75,65,733/- की छूट का दावा किया था । यद्यपि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने इसे पैनी स्टॉक कंपनी के शेयरों संबंधित जाली संव्यवहार मानकर धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति रु. 75,65,733/- की छूट के दावे को अस्वीकृत किया था । हमने पाया कि अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन छूट के दावे की स्वीकृति कुछ शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है जैसे-

1. निर्धारिती के लिए इक्विटी शेयरों को एक वर्ष से अधिक अवधि तक धारित करना आवश्यक है ।
2. इक्विटी शेयरों का विक्रय सिक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) का भुगतान करके मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाना चाहिए ।

अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात हमने पाया कि विवादाधीन शेयर निर्धारिती द्वारा खाताधारक को देय चैक के द्वारा भुगतान करके खरीदे गए थे । खरीदे गए शेयर 12 माह से अधिक की अवधि तक डी-मैट (De-mat) खाते में धारित किए गए थे । इक्विटी शेयरों का विक्रय सिक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के भुगतान के पश्चात प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज पर किया गया था । इस प्रकार, निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति की छूट का दावा करने हेतु सभी आवश्यक सभी शर्तों की पूर्ति की है । हमने पाया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने यह दावा अन्वेषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकृत किया है परंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि निर्धारिती का अभिकथित पूंजीगत प्राप्ति प्राप्त करने हेतु कंपनी के प्रबंधन से कोई प्रत्यक्ष संबंध है । इस तथ्य का विद्वान विभागीय प्रतिनिधि द्वारा विरोध

नहीं किया गया है । इन तथ्यों के अधीन निर्धारिती का दावा निम्नलिखित निर्णयों की दृष्टि में स्वीकार्य है -

1. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पीसीआईटी बनाम कृष्णा देवी तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं. 125/2020 में आदेश दिनांक 15.01.2021 ।
2. माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर 'बी' न्यायपीठ के अशोक अग्रवाल बनाम एसीआईटी जयपुर के प्रकरण में आ.अ.सं. 124/जेपी/2020 में आदेश दिनांक 18.11.2020 ।
3. माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई 'डी' न्यायपीठ के दीपेश रमेश वर्धन बनाम डीसीआईटी सेंट्रल मुंबई के प्रकरण में आ.अ.सं. 7648/मुंबई/2019 में आदेश दिनांक 11.08.2020 ।
4. माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, मुंबई 'बी' न्यायपीठ के नारायण रामचंद्र राठी बनाम आयकर अधिकारी 3(1) मुंबई के प्रकरण में आ.अ.सं. 4811/मुंबई/2018 में आदेश दिनांक 08.08.2019 ।
5. माननीय आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ के आयुष जैन बनाम आयकर अधिकारी के प्रकरण में आ.अ.सं. 616/इंदौर/2019 में आदेश दिनांक 30.04.2021 ।

अतः उपर्युक्त निर्णयों का आदरपूर्वक अनुसरण करते हुए हम निर्धारिती के धारा 10(38) के अधीन दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति रु. 75,65,733/- की छूट के दावे को स्वीकृत करते है तथा निर्धारिती की अपील का यह आधार स्वीकृत किया जाता है ।

9. इसके अतिरिक्त चूंकि हमने निर्धारिती के दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्ति रु. 75,65,733/- के दावे को धारा 10(38) के अधीन छूट प्राप्त आय के रूप में

स्वीकृत किया है, अतः वहाँ अभिकथित कमीशन व्यय लेखे रु. 4,53,643/- के शेष परिवर्धन हेतु कोई आधार नहीं बचता है । अतः इस परिवर्धन को हटाया जाता है तथा निर्धारिती की अपील का यह आधार स्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 21.12.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(महावीर प्रसाद)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 21.12.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल